

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

दिनांक - 21.10.25

क्रमांक रीडर/2024/9003

प्रार्थीगण

1 भंवराराम पुत्र बीजाराम 2
अणसीदेवी पत्नि बीजाराम 3
राणाराम पुत्र बीजाराम जाति
कुम्हार (प्रजापति) निवासी
छीतर का पार, तहसील
बाटाडू जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हरखाराम 2 कलाराम पिसरान खुमाराम 3 रेंवतराम 4 गोमाराम 5
भोमाराम पिसरान ताजाराम 6 लाछीदेवी पत्नि पूनमाराम 7 रतनाराम 8
किशनाराम 9 भैराराम 10 सत्यनारायण 11 सरूपाराम पिसरान
पूनमाराम 12 रावताराम 13 रेखाराम 14 टिकमाराम 15 चौथाराम
पिसरान जुगताराम 16 गुमनी पत्नि अर्जुनराम 17 रावताराम पुत्र
अर्जुनराम 18 बाबूराम 19 चुतराराम 20 तगाराम 21 चम्पाराम 22
खरथाराम 23 रामाराम 24 मोहनराम पिसरान ठाकराराम 25 आसूराम
26 गिराधारीराम पिसरान प्रहालदराम 27 ताजाराम 28 गोमाराम 29
भोमाराम पिसरान रेंवताराम जाति कुम्हार 30 रावताराम पुत्र मंगनाराम
जाति जाट 31 जयराम पुत्र भीखाराम जाति दिशान्तरी निवासी छीतर
का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्व आवेदन संख्या :- 175/2025

111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
दिनांक- 14/10/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा छीतर का पार पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 511/227 रकबा 0.9142 हैक्टेयर, खसरा संख्या 535/244 रकबा 1.8364 हैक्टेयर, व मौजा
उदाराम की ढाणी पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 494/94 रकबा 2.
1439 हैक्टेयर, खसरा संख्या 497/347 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने
से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार
पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/9004 - 9007

दिनांक- 21.10.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण भंवराराम पुत्र बीजाराम वगैराह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छीतर का पार, तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हरखाराम पुत्र खुमाराम वगैराह जातियान कुम्हार छीतर का पार, तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर